948/2022

ई-पत्रावली-36078

संख्या-717 /XII-3/2022/83(06)/2022

प्रेषक,

मायावती ढकरियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग

देहरादून : दिनांक 21 अक्टूबर, 2022

विषय:- ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26 नई ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1570/निर्माण-8/बजट/2022-23, दिनांक 08.08.2022 एवं पत्र संख्या- 2130/ग्रा0नि0वि0/निर्माण-07/प्रा0आगणन/2022-23, दिनांक 10.10.2022 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26 नई ग्रामीण सड़क योजनाओ के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने एवं सर्वेक्षण हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा आकलित एवं शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 72.59 लाख (**बहत्तर लाख उन्नसठ हजार मात्र**) की प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये संलग्नक के कॉलम 2 में उल्लिखित योजनावार कॉलम 5 में उल्लिखित विवरणवार स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर रखने/नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश स0-847/XXVII(1)/2016 दि0 26 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश सं0-391/09(150)2019/XXVII(1)/2022, दिनांक 24 जून, 2022 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदो में व्यय किया जाय।

(ii) किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(iv) निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

(v) बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है, अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।

(vi) आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि सम्बन्धित शाखाओं को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(vii) आहरण वितरण अधिकारी तथा कोषाधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

(viii) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उन कार्यों मे ही व्यय किया जाय, जिन योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

(ix) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है। आप भी अपने स्तर से अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवटन करना सुनिश्चित करेंगे।

(x) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–1638/ XXX-1-12(25)2011, दि0–08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जायेगा।

(xi) शासनादेश संख्या–445/XII–3/2021/87(07)/2019, दिनांक 19.07.2021 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्ण रूप से विवाद रहित मोटर मार्गो की डी0पी0आर0 नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या- 19 के लेखाशीर्षक 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम्य विकास–03 -ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज–53–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3– यह आदेश वित्त विभाग (अनुभाग)–4, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र सं0–1/72024/2022, दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

Signed by Mayawati Dhakriyal
Date: 21-10-2022 13:17:44

(मायावती ढकरियाल)
अपर सचिव।

संख्याः 717 (1)/XII-3/2022/83(06)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (ए एण्ड ई) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Rajeev Tiwari
Date: 21-10-2022 16:08:39

(राजीव तिवारी)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

शासनादेश संख्या–717 /XII–3/2022/83(06)/2022, दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 का संलग्नक

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	प्रखण्ड का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 गठन हेतु अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत डाग मोटर रोड से झिरकोटी गांव तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज 1)।	घनसाली	1.00	1.50
2	जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत जाख भगेतिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जायेगा। (स्टेज 1)(घोषणा सं0 1661/2021 दि0 26.11.2021)	भिकियासैण	3.00	4.50
3	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के वि0ख0 पाबौ के अन्तर्गत रा0 पूर्व मा0वि0 रिंवालधार से राजकीय चिकित्सालय रिंवाल तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज–1)।	पौड़ी	1.00	1.50
4	विकासखण्ड बीरोंखाल में डुमेला तल्ला मोटरमार्ग से भरोली मल्ली तक सम्पर्क मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (स्टेज–1)।	कोटद्वार	2.00	3.00
5	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के वि0ख0 पोखड़ा के अन्तर्गत बगडीगाड के सडकीधार से धोया तोक तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज–1)।	पौड़ी	2.00	3.00
6	जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड कनालीछीना के अन्तर्गत ग्राम सभा ओझा मल्ला में नई बस्ती से कफलौली तक मोटरमार्ग का निर्माण। (स्टेज–1)	डीडीहाट	1.00	1.50
7	जनपद हरिद्वार के वि0ख0 भगवानपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मोहितपुर के शेरपुर के कब्रिस्तान से ग्रामसठेडी शाहजहांपुर की ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज–1)।	हरिद्वार	3.15	9.45
8	जनपद देहरादून के वि0ख0 रायपुर के अन्तर्गत अखण्डवानी मिलंग से हिलांसवाली तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज–1)।	देहरादून	1.80	2.70
9	जनपद पौड़ी गढ़वाल के वि0ख0 क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत वि0ख0 एकेश्वर मे सेम–भरपूर–कुलासू मोटर मार्ग से अनु0 बस्ती सेगगाव तक मोटर मार्ग का निर्माण (स्टेज–1)।	पौड़ी	0.50	0.75
10	जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 मूनाकोट के अन्तर्गत मडमानले से मलान अ0जा0 बस्ती तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण(स्टेज–1)।	पिथौरागढ़	1.00	1.50
11	जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 विण के अन्तर्गत कुंटिया धारा से सुनरकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण(स्टेज–1)।	पिथौरागढ़	2.00	3.00
12	पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के वि0ख0 एकेश्वर के अन्तर्गत सिंकू मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम पसोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (स्टेज–1)।	पौड़ी	1.50	2.25
13	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड कीर्तिनगर के ग्राम पंचायत नौर के अन्तर्गत कलल्यू (कठूड़ तोक) से [illegible] तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	घनसाली	1.10	1.65